

**नामान्तरण संबंधी (अंचल अधिकारी के न्यायालय का)  
आदेश फलक**

(अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश मत्रक ..... तारीख ..... से ..... तक

जिला ..... अनुमण्डल :- बाढ़, अंचल :- पंडारक का केस का प्रकार .....

दा.प.न. शा.ग.वा.द.प. 102 एवं वर्ष 2013-2014

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पचाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में तारीख सहित
<p>1 27-6-13</p>	<p>श्री/ श्रीमति ..... श्री/ श्रीमति ..... ग्राम ..... थाना ..... अंचल पंडारक जिला पटना ने निम्नलिखित जमीन बिक्री/दानपत्र/बख्शीशनाम/बँटवारा /विनिमय/उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त किया है तथा इसके नामान्तरण का आवेदन समर्पित किया है। अतः संबंधित वसीका सह कागजात को हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से नामान्तरण के विन्दु पर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निर्देशित करें। अभिलेख दिनांक ..... 11-7-13 ..... को उपस्थापित करें।</p> <p align="center"><b>जमीन का विवरण</b></p> <p>ग्राम/थाना नं० ..... खाता नं० ..... खेसरा ..... रकबा ..... लेखापति एवं संशोधित अंचल अधिकारी पंडारक</p>	
<p>2 11-7-13</p>	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। हल्का कर्मचारी को जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ। प्रतिवेदन के अवलोकन से</p>	

विदित होता है कि प्रतिवेदित जमीन विक्री पत्र / दानपत्र / बख्शीशनामा बँटवारा / विनिमय / उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त की गयी है। अतः नामान्तरण स्वीकृति के पूर्व आपत्ति आमंत्रण हेतु क्रैता, विक्रेता एवं आम महाल के नाम से सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 18.7.13 को उपस्थापित करें।

लेखापति एवं संशोधित  
अचलाधिकारी  
पंडारक

अंचल अधिकारी  
पंडारक

3  
18.7.13

तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। तामिला के उपरान्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा

कोई आपत्ति दर्ज नहीं किया गया। अभिलेख दिनांक 18.7.13 को उपस्थापित करें।

लेखापति एवं संशोधित  
अचलाधिकारी  
पंडारक

अंचल अधिकारी  
पंडारक

4  
18.7.13

हल्का कर्मचारी / अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर राजस्व वसूली हित में स्वत्व प्रभावित नहीं करते हुए नामान्तरण की स्वीकृति दी जाती है।

शुद्धि पत्र निर्गत करें।  
लेखापति एवं संशोधित  
अचल अधिकारी  
पंडारक

अंचल अधिकारी  
पंडारक